उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-102/2018/1839/92-2-18-111जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 03 अगस्त 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद जौनपुर में दिनांक 16.12.2017 को मा0 मंत्रीजी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-यू0पी0-3773, बक्शा से रसिकापुर सम्पर्क मार्ग पर पी0सी0 सतह उखडा हुआ तथा पटरी का कार्य अधूरा पाया गया। इस प्रकार मार्ग के अनुरक्षण के कार्य में प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कायार्लय ज्ञाप संख्या-222/2017/3349/92-2-17-111जांच/2017 दिनांक 29--12-2017 द्वारा श्री नूर आलम, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-जौनपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद के पत्र संख्या-54/ग्रा0अ0वि0/जांच स0अ0जौनपुर/17-18 दिनांक 10-04-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी, श्री नूर आलम पर अधिरोपित मात्र 01 आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री नूर आलम को शासन के पत्र संख्या-892/92-2-18-111जांच/17 दि0 26-04-18 द्वारा अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 24-05-2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री नूर आलम को अपने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाया गया है। उक्त आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप हेतु श्री नूर आलम, सहायक अभियंता को सेवा में तत्काल प्रभाव से बहाल करते हुये उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-12-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-64/2018/1369/92-2-18-111जांच/2017 दिनांक 29-06-2018 द्वारा श्री नूर आलम को पदीय दायित्वो के प्रति उदासीनता बरतने की पुनरावृत्ति न करने हेतु भविष्य के लिये सचेत करते हुये समाप्त कर दी गयी।

2- प्रकरण में श्री नूर आलम के प्रत्यावेदन दिनांक 10-07-2017 तक विचार करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के नियम-54 में निहित व्यवस्था के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनके निलम्बन अवधि दिनांक 29-12-2017 से 29-06-2018 तक को कर्तव्यार्थ सेवा अवधि मानते हुये उक्त अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-102/2018/**1839(1)/92-2-2018 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री नूर आलम, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-जौनपुर सम्प्रति प्रखण्ड-सोनभद्र द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।